निर्णय ब इजलास प्रकाश राजपुरोहित आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर

प्रकरण संख्या :284/2022 (मुन्तकिल प्रार्थना पत्र)

श्रीमती प्रेम देवी पत्नी जगदीश प्रसाद जाति बागडा ब्राह्मण निवासी ढाणी बडाखेत, ग्राम मुहाना, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।

प्रार्थी

वनाम

1. उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय पीठासीन अधिकारी श्रीमती एकता कावरा (आर.ए.एस.)।
2. श्रीमती मंगली देवी पुत्री स्व॰ श्री भूरा धर्मपत्नी श्री सूजीलाल जाति बागडा ब्राह्मण, निवासी ग्राम केश्यावाला, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर ।
3. श्रीमती कमला देवी पुत्री स्व॰ श्री भूरा धर्मपत्नी श्री नाथूराम जाति बागडा ब्राह्मण, निवासी ग्राम केश्यावाला, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर ।

अप्रार्थीगण

4. श्रीमती भागा देवी बेवा स्व॰ श्री गोपाल जाति बागडा ब्राह्मण, निवासी ग्राम मुहाना, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर ।
5. श्रीमती विमला देवी पुत्री स्व॰ श्री गोपाल धर्मपत्नी श्री बद्रीनारायण जाति बागडा ब्राह्मण, निवासी ग्राम मुहाना, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर ।
6. श्रीमती ग्यारसी देवी पुत्री स्व॰ श्री गोपाल धर्मपत्नी श्री शंकर लाल निवासी ग्राम मलबा, तहसील चाकसू जिला जयपुर ।
7. श्रीमती मीरा देवी पत्नी शंकर लाल जाति माली, निवासी ग्राम मुहाना, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।
8. श्रीमती शकुन्तला शर्मा पत्नी श्री सत्यदेव शर्मा जाति ब्राह्मण, निवासी ग्राम मुहाना, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।
9. श्रीमती मीना पत्नी लक्ष्मण कुमार शर्मा जाति ब्राह्मण, निवासी ग्राम मुहाना, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।
10. श्रीमती दुर्गा देवी पत्नी श्री श्रवण लाल शर्मा जाति ब्राह्मण, निवासी ग्राम मानपुर भाटावाला, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।
11. श्रीमती कमला देवी पत्नी श्री जगदीश प्रसाद शर्मा, जाति बागडा ब्राह्मण, निवासी ग्राम मानपुर भाटावाला, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।
12. श्रीमती मीनाक्षी देवी पत्नी सुरेश चन्द
13. श्रीमती लाली देवी पत्नी भागचन्द
14. श्रीमती कौशल्या देवी पत्नी कैलाश चन्द

समस्त जाति बागडा ब्राह्मण, निवासी ढाणी बडा खेत, ग्राम मुहाना, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर ।

15. उप पंजीयक प्रथम, सांगानेर, तहसील सांगानेर जिला जयपुर ।
16. सरकार जरिये तहसीलदार सांगानेर, जिला जयपुर ।

प्रफोर्मा अप्रार्थीगण

जिला कलक्टर
जयपुर

मुन्तकिल प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 235 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय के समक्ष विचाराधीन प्रकरण संख्या 256/2020 व 261/2020 ब उनवानी मंगली व अन्य बनाम जगदीश व अन्य को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने बाबत।

उपस्थितः–

1. श्री हरीश कुमार शर्मा अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से ।
2. श्री हजारी लाल शर्मा अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की ओर से ।

निर्णय दिनांक 05.01.2022

1. संक्षेप में मुन्तकिल प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय के समक्ष प्रकरण संख्या 256/2020 व 261/2020 ब उनवानी मंगली व अन्य बनाम जगदीश व अन्य विचाराधीन है। जिसमें पीठासीन अधिकारी से न्याय मिलने में शंका जाहिर कर उक्त प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में अन्तरण किये जाने का अनुरोध किया है।
2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय से बिन्दूवार टिप्पणी तलब की गई। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की ओर से अधिवक्ता श्री हजारी लाल शर्मा ने उपस्थित होकर वकालतनामा पेश किया।
3. बहस उभय पक्ष सुनी गई।
4. प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचाराधीन उक्त प्रकरणों को दिनांक 03.07.2019 को अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज कर दिया गया। जिनके रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र वर्तमान में अप्रार्थी संख्या 1 के समक्ष विचाराधीन है। जिसमें मिन प्रार्थिया एवं प्रोफार्मा अप्रार्थी संख्या 12 लगायत 14 द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 जा.दी. प्रस्तुत किया है जो वर्तमान में जैर ऐ तजबीज है। जिसमें अप्रार्थी संख्या 2 व 3 द्वारा दिन प्रतिदिन की तारीख ली जा रही है जैसे 7.11.2021से 14.11.2021, 21.11.2021 से 28.11.2021, 29.11.2021 व 6.12.2022 गत पेशी दिनांक 28.11.2022 को जब प्रार्थिया के अधिवक्ता ने अदालत हाजा में दोपहर बाद कन्डोलेन्स होने के कारण प्रकरण में आगामी पेशी दिये जाने हेतु निवेदन किया तो अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा जानबूझ कर जबरन प्रार्थिया के अधिवक्ता को धमकाते हुए कहा कि आज आप इसमें बहस करें, अन्यथा में इसमें आदेश करूंगी, तब प्रार्थिया ने बडे विनम्र होकर निवेदन किया कि आज कन्डोलेन्स के पश्चात प्रकरण हाजा में आपके द्वारा जरबन बहस सुना जाना उचित नहीं है। जिस पर अप्रार्थी संख्या 1 ने बेवजह नाराज होकर प्रकरण में सुनवाई हेतु अगले ही दिन की आगामी पेशी दिनांक 29.11.2022 नियत कर दी। जिस पर अप्रार्थी संख्या 1 की कार्य शैली पर शंका हुई तो उसने दिनांक 29.11.2022 को उक्त प्रकरण को अन्यत्र स्थानान्तरण करवाने हेतु एक प्रार्थना पत्र अप्रार्थी संख्या 1 के समक्ष प्रस्तुत किया जो उन्होंने अपनी अज्ञानता का परिचय देते हुए अवलिम्ब उसे खारिज करने के मौखिक आदेश दे दिये तथा प्रार्थिया एवं उसके अधिवक्ता को जबरन बहस करने के हेतु आदेशित किया तथा अमार्यादित व्यवहार किया जिससे दुःखी हो कर प्रार्थी द्वारा मुन्तकिल प्रार्थना

जिला कलक्टर
जयपुर

पत्र प्रस्तुत है। अतः उक्त उनवानी प्रकरणों को अन्य सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने का आदेश फरमावें।

5. अप्रार्थी संख्या 2 व 3 के सुयोग्य अधिवक्ता ने उक्त तर्को का खण्डन करते हुये दलील पेश की कि प्रार्थी ने जानबूझ कर प्रकरण के निस्तारण में देरी किये जाने की मन्शा से झूठे तथ्य अंकित करते हुये यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पेश किया है, जो खारिज किये जाने योग्य है, किन्तु चूंकि प्रार्थी ने पीठासीन अधिकारी से न्याय प्राप्त होने पर शंका जाहिर की है । इसलिए न्यायहित में उक्त प्रकरण को यदि अन्य सक्षम न्यायालय में ट्रान्सफर किया जाता है, तो कोई आपत्ति नहीं है।

6. उभय पक्ष के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।

7. प्रार्थी ने उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय की पीठासीन अधिकारी से न्याय मिलने पर शंका जाहिर कर उक्त प्रकरण को अन्यत्र स्थानान्तरण किये जाने का अनुरोध किया है। न्याय का नैसर्गिक सिद्वान्त है कि न्याय किया जाना ही आवश्यक नहीं है, बल्कि न्याय किया गया है, ऐसा लगना भी चाहिये। न्याय की इसी भावना को मध्यनजर रख कर मुन्तकिल प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रकरण अन्य न्यायालय में मुन्तकिल किया जाना न्याय संगत है। अप्रार्थी अधिवक्ता भी उक्त प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरित किये जाने पर सहमत है। जयपुर मुख्यालय पर उपखण्ड अधिकारी जयपुर प्रथम का न्यायालय भी स्थापित है, जिसमें इस प्रकरण को अन्तरित किया जा सकता है। फलस्वरूप मुन्तकिल प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

8. उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय के समक्ष विचाराधीन प्रकरण संख्या 256/2020 एवं 261/2020 ब उनवानी मंगली व अन्य बनाम जगदीश व अन्य को न्यायालय पर उपखण्ड अधिकारी जयपुर प्रथम को अन्तरण किया जाता है। पक्षकारान प्रकरण में अग्रिम सुनवाई हेतु दिनांक 23.01.2022 को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जयपुर प्रथम में उपस्थित हो।

9. उपखण्ड अधिकारी जयपुर प्रथम को निर्देशित किया जाता है कि उभय पक्ष को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर दिया जाकर प्रकरण का गुणावगुण व मैरिट पर निस्तारण करना सुनिश्चित करे। निर्णय की प्रति न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय एवं उपखण्ड अधिकारी जयपुर प्रथम को प्रेषित हो। पत्रावली नम्बर से कम हो कर शुमार फैसल हो।

10. निर्णय आज दिनांक **05.01.2023** को सरे इजलास सुनाया गया।

(प्रकाश राजपुरोहित)
जिला कलक्टर
जयपुर